फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत : उपखण्ड अधिकारी — मुकाम : रावतभाटा

हिम्मत सिंह बनाम मंपर सिंह

म मुकदमा वाद-पत्र नं0 36/2023 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
7 10/2024	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रतिवादी द्वारा व पेरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत करने का अवसर चाहा जो दिया जाता है। प्रतिवादी सं.02 की रजि० AD अदम तामील प्राप्त जो शा० फा० रहें। वकील वादी द्वारा प्रतिवादी सं.02 के नये पते पर नोटिस प्रोसेस भरकर पेश होने पर जारी हों। पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादी सं. 1,3 व बइन्तजार नोटिस प्रोसेस प्रतिवादी सं. 02 दिनांक 14/11/2024 को पेश हो। S.D.O	
14 11/2024	पत्रावली पेश हुई प्रशासनिक सेवा परिषद की मांगो के समर्थन में अभिभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित कराने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11/12/24 को पेश की जावे। P.O.	
11 12/2024	पत्रावली पेश हुई P.O. साहब अवकाश पर होने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2/1/25 को पेश की जावे। P.O.	
02 01/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को प्रतिवादी सं. 02 के नोटिस प्रोसेस प्रस्तुत करने हेतु पूर्व मे दिनांक 24/08/2023 से अब तक कुल 17 अवसर दिये जाने के बावजूद वकील वादी नोटिस प्रोसेस प्रस्तुत करने मे असफल रहे। इससे प्रतीत होता है कि वकील वादी वाद-पत्र की [illegible] नही चाहते है। अतः वकील वादी [illegible] लाने में असफल रहने से वाद-पत्र [illegible] CPC के (O)9(R)5 के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)	

Signature Not Verified
Digitally Signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.01.31 11:23:11 IST
Reason: Self Attested